संख्या– /XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/9/2017–ई.II(बी) दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–78/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 17 मई, 2017 के क्रम में राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 4% मंहगाई भत्ता अनुमन्य है, को उक्त के स्थान पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 5% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महगाई भत्ता परिलब्धियों का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 अक्टूबर, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

6. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।